

व्याख्यात्मक टिप्पणिया

I. बैंकों से संबंधित

1. वे सभी बैंक जिनको रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, उन्हें अनुसूचित बैंक के रूप में जाना जाता है। इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल हैं।
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारत में उनके स्वामित्व एवं/या कार्य की प्रकृति के अनुसार पांच समूहों में बाटा गया है। ये बैंक समूह है (i) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (iv) विदेशी बैंक और (v) अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (निजी क्षेत्र में)।
3. अनुसूचित सहकारी बैंकों में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।
4. बैंकवार सारणियों और संक्षिप्त सारणियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं वाणिज्य सहकारी बैंक, बैंक-समूह स्तर पर शामिल नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्य सहकारी बैंक समूह के विवरण, सारणी 2.1 और 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।
5. वर्ष 2009-10, में वाणिज्यिक बैंकिंग सिस्टिम में निम्नलिखित बदलाव आए हैं :

इन परिवर्तनों को उन टेबलों में दिखलाया गया है जहाँ एक-एक बैंक का डेटा दिया गया है।

6. इस पुस्तक में प्रस्तुत बैंक सुविधायुक्त केंद्रों की जनसंख्या समूह 2001 की जनगणना पर आधारित है। जनसंख्या समूहों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है :

जनसंख्या	जनसंख्या समूह
0 - 10,000	ग्रामीण
10,000 - 1,00,000	अर्ध-शहरी
1,00,000 - 10,00,000	शहरी
10,00,000 और उसके उपर	महानगरीय

II. टेबल से संबंधित

टेबल 6.1 से 6.6 तक- ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग द्वारा सोर्स किए गये इन टेबलों में बैंको के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने के रिपोर्टिक फॉर्मेट चेज होन के कारण बदलाव आया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुछ सब-हेडस् के अलग आंकड़े देने के अलावा, प्राथमिकता क्षेत्रों के अग्रिमों को अडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट समतुल्य (इक्विवॅलेंट) जो भी इन नये फॉर्मेट में अधिक है, के प्रतिशत प्रस्तुत किया है।

टेबल 2.1 और 2.2 – ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत पाक्षिक 'फॉर्म-ए' – विवरणियों से संकलित हैं और भारत में उनके कारोबार में संबंधित हैं। अंतर-बैंक जमा राशियां/आस्तियां जिनकी 15 दिनी एवं इससे अधिक और 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि है, इसमें शामिल नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी राशियों से संबंधित आंकड़े सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक साप्ताहिक कार्य-स्थिति विवरण से प्राप्त किए गए हैं।

टेबल 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 – सारणी 2.3, 2.4, 2.5 और 4.1 में दिए गए आंकड़ों में अंतर-बैंक जमा राशियां शामिल नहीं हैं, अतएवं इनका क्षेत्र सारणी 3.1. में दिए गए आंकड़ों से अलग है। सारणी 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 5.2 और 5.3 में प्रस्तुत बैंक ऋण आंकड़ों में कर्ज, नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और खरीदे एवं भुनाए गए बिल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सारणी संख्या 5.1, 5.2 और 5.3 में दिए बैंक ऋण से संबंधित आंकड़ों में बैंकों से बकाया भी शामिल हैं।

टेबल 2.6 और बी 12 – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षे.ग्रा.बैं. को छोड़कर) के चुने हुए वित्तीय अनुपात बैंकों के प्रकाशित वार्षिक लेखों से लिए और संकलित किए गए हैं तथा 31 मार्च 2009 और 2010 को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं। अनुपात बैंकों के प्रकाशित वार्षिक लेखों से लिए और संकलित किए गए हैं तथा 31 मार्च 2009 और 2010 को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं। अनुपात 21 और 30 से 35 अर्थात् "आस्तियों पार लाभ", "प्रति कर्मचारी कारोबार" (जमा राशियां और अग्रिम मिलाकर) "प्रति कर्मचारी लाभ", "पूँजी पर्याप्तता अनुपात", पूँजी पर्याप्तता अनुपात-टिअर I "पूँजी पर्याप्तता अनुपात-टिअर II" और "शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां" जैसे अनुपात अलग-अलग बैंकों के प्रकाशित लेखों के "लेखों पर टिप्पणियां" (नोट्स ऑन अकाउन्ट्स) से प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों को बैंक-समूह स्तर पर समेकित नहीं किया गया है।

1. अन्य अनुपातों को निकालने के लिए प्रयुक्त अवधारणाएं/पारिभाषाएं इस प्रकार हैं :-

- (i) नकद-जमा अनुपात के "नकद" में नकद शेष और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां हैं।
 - (ii) निवेश-जमा अनुपात के "निवेश" का अर्थ है कुल निवेश जिसमें उन प्रतिभूतियों में किया गया निवेश भी शामिल है जिन्हें अनुमोदन नहीं प्राप्त है।
 - (iii) "शुद्ध ब्याज (नेट इंटररेस्ट) मार्जिन", कुल अर्जित ब्याज से कुल प्रदत्त ब्याज को घटाकर प्राप्त किया गया है।
 - (iv) "मध्यस्थता लागत" (इंटरमिडिएशन कॉस्ट), को "कुल परिचालन व्यय" के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - (v) "कर्मचारियों को वेतन एवं उनके लिए प्रावधान", को "मजदूरी बिल" कहा गया है।
 - (vi) प्रावधानों एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय को कुल आय से घटाकर "परिचालन लाभ" प्राप्त किया गया है।
 - (vii) "बोझ" (बर्देन) का अर्थ है कुल ब्याजेतर (नॉन-इंटररेस्ट) खर्च में से ब्याजेतर (नॉन-इंटररेस्ट) आय को घटाकर प्राप्त की गई राशि।
2. पूँजी, प्रारक्षित (रिज़र्व), जमा राशियां, उधार, अग्रिम, निवेश और आस्तियां/देयताएं जैसी चींजे जिनका विभिन्न वित्तीय आय/व्यय अनुपात निकालने में प्रयोग किया गया है, (अनु. क्र. 11 से 29) दो संबंधित का औसत है।
3. अनुपातों को इस प्रकार परिभाषित किया है :
- (i) नकदी-जमा अनुपात = (हाथ में नकदी + भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां) / जमा राशियां।
 - (ii) प्रतिभूत (सिक्क्युर्ड) अग्रिम का कुल अग्रिम से अनुपात = (मूर्त (टैजिबल) आस्तियों द्वारा प्रतिभूत अग्रिम + बैंक या सरकारी गारंटी द्वारा से कवर किया अग्रिम) / अग्रिम।
 - (iii) ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात = अर्जित ब्याज/कुल आस्तियां

- (iv) शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात = अन्य आय/कुल आस्तियां
- (v) ब्याजेतर आय का कुल आस्तियों से अनुपात = अन्य आय/कुल आस्तियां
- (vi) मध्यस्थता लागत का कुल आस्तियों से अनुपात = परिचालन व्यय/कुल आस्तियां
- (vii) मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत (परिचालन व्यय) से अनुपात = कर्मचारियों को भुगतान तथा परिचालन लिए प्रावधान / परिचालन व्यय
- (viii) मजदूरी बिल का कुल व्यय से अनुपात = कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान/कुल व्यय
- (ix) मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात = कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान/कुल आय
- (x) बोझ (बर्देन) का ब्याज आस्तियों से अनुपात = (परिचालन व्यय-अन्य आय)/कुल आस्तियां
- (xi) बोझ (बर्देन) का ब्याज आय से अनुपात = परिचालन व्यय-अन्य आय / ब्याज आय
- (xii) परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात = परिचालन लाभ/कुल आस्तियां
- (xiii) किसी बैंक समूह (सारणी 2.6 के लिए) की आस्तियों पर लाभ का पता लगाने के लिए समूह के अलग-अलग बैंकों (सारणी बी 12 से) की आस्तियों से प्राप्त आय का भारित औसत प्राप्त आय का भारित औसत प्राप्त किया जाता है। यहाँ भार (वेट) का अर्थ है, किसी निर्दिष्ट बैंक की आस्तियां का संबंधित बैंक समूह के सभी बैंकों की कुल आस्तियों से प्रतिशत में अनुपात।
- (xiv) इक्विटी पर लाभ = शुद्ध लाभ/(पुंजी + आरक्षित निधी एवं अधिशेष (रिज़र्व एंड सरप्लस), जिसे संचित के लिए समायोजित नहीं किया गया है।
- (xv) जमाशियों की लागत = जमाशियों पर प्रदत्त ब्याज/जमाशियां
- (xvi) उधार की लागत = भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार पर प्रदत्त ब्याज/उधार
- (xvii) निधियों की लागत = (जमाशियों पर प्रदत्त ब्याज + भा.रि.बैं. से लिए गए उधार प्रदत्त ब्याज)/जमाशियां + उधार का कुल योग
- (xviii) अग्रिमों पर लाभ = अग्रिमों और बिलों पर अर्जित ब्याज/अग्रिम
- (xix) निवेशों पर लाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज/निवेश
- (xx) निधियों की लागत के साथ समायोजित (एडजस्टेड) अग्रिमों पर लाभ = अग्रिमों पर लाभ - निधियों की लागत
- (xxi) निधियों की लागत के साथ समायोजित (एडजस्टेड) निवेशों पर लाभ = निवेशों पर लाभ - निधियों की लागत

हर (डिनॉमिनेटर) के अनुपात में जहाँ उचित समझा गया है वहाँ 'चालू वर्ष' और 'पिछले वर्ष' के औसत का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009-10 में कुल एसेट की तुलना में शुद्ध ब्याज मार्जिन के अनुपात में हर (डिनॉमिनेटर) के लिए 2008-09 और 2009-10 के औसत (एवरेज) टोटल एसेट का इस्तेमाल किया गया है।

टेबल 4.2 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल बकाया जमाराशि इस सारणी में प्रस्तुत वर्ष 2008 के लिए 13046 और वर्ष 2009 के लिए 16055 शाखाओं के नमूनों पर अनुमानित है ।

टेबल 9.1 और बी 2 – इन सारणियों के लिए आंकड़े, बैंकों द्वारा प्रकाशित उनके वार्षिक लेखे के लाभ-हानि लेखे की विभिन्न अनुसूचियों से प्राप्त किए गए हैं । इन सारणियों में दर्शाए गए कुल व्यय में प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय शामिल नहीं है । लाभ निकालने के लिए बैंक की कुल आय से ब्याज व्यय, परिचालन व्यय तथा प्रावधान एवं आकस्मिक खर्चों को घटाया गया है ।

टेबल 10.1 – इस सारणी का आधार मूलभूत सांख्यिकी विवरणी-(बीएसआर) II के माध्यम से प्राप्त आंकड़े हैं इनमें बैंक के केवल पूर्ण-कालिक कर्मचारी ही शामिल हैं ।

टेबल 11.4– आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं से प्राप्त मूसांवि – I और मूसांवि – II (बीएसआर I और II) पर आधारित है और 2 लाख से अधिक ऋण सीमावाले खातों से संबंधित है । इस ऋण में खरीदे व भुनाए गए अंतर्देशीय एवं विदेशी बिल शामिल नहीं हैं । बकाया राशि का इस्तेमाल औसत उधार दरों को निकालने के लिए तोल (वेट) के रूप में किया गया है । जमा दर केवल सावधि जमाराशियों से संबंधित है । 2008 और 2009 आईबी औसत जमा दर के लिए डेटा 65027 और 61490 रिपोर्टिंग शाखाओं, क्रमशः अवधि जमा होने पर आधारित है ।

टेबल बी1 से बी12 – ये सारणियां अलग अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के आंकड़े, प्रस्तुत करती है ।

टेबल बी 16 – से आंकड़े भारत के उन जमा खातों से संबंधित हैं जो 31 दिसंबर 2008 तक 10 वर्ष या उसके अधिक समय से परिचालित (ऑपरेट) नहीं किए गए हैं । ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1949 की धारा 26 के तहत फॉर्म IX में बैंकों प्रस्तुत विवरणी पर आधारित है ।

III सामान्य टिप्पणियां

1. हो सकता है कि सारणियों का जोड़ घटक मदों के जोड़ से पूरी तरह मेल खाए क्योंकि अंको को पूर्णांकित किया गया है ।
2. कोष्ठकों में दिए गए अंक सामान्यतया कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
3. लाख की इकाई 1,00,000 के बराबर है और करोड़ की इकाई 1,00,000 के बराबर है ।
4. ‘-’ के प्रतीक का अर्थ है शून्य या नगण्य । उपलब्ध नहीं या लागू नहीं के लिए ‘..’ प्रतीक का उपयोग किया गया है ।
5. प्रत्येक सारणी के अंत में उससे संबंधित स्रोत व टिप्पणियां दी गई हैं ।
6. वर्ष ‘2009’ का संदर्भ वित्तीय वर्ष अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक और वर्ष ‘2010’ का संदर्भ वित्तीय वर्ष अप्रैल 2009 से मार्च 2010 वर्ष से है ।
7. पिछले वर्षों के कुछ डेटा रिवाइज किए गए हैं ।